

## हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अधीन स्थापित)

### वाहन की नीलामी के संबंध में सूचना

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा के वाहन सं. **HP39C 0115 (Maruti SX4 ZXI) (MT-BSIV)** की जहां है, जैसे है के आधार पर सार्वजनिक नीलामी दिनांक 02.01.2023 को अपराह्न 2.30 बजे धौलाधार परिसर-1, धर्मशाला, जिला कागड़ा की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता नीलामी की तिथि के दिन 'वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय' के नाम रु. 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदन शुल्क के रूप में एवं रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / एफ.डी.आर. विश्वविद्यालय में जमाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी की विस्तृत नियम एवं शर्तें इस सूचना के नीचे उपलब्ध हैं।

Sd/-  
कुलसचिव

## Central University of Himachal Pradesh

(Established under Central Universities Act, 2009)

### Notice for Auction of Vehicle

Public Auction of Vehicle No. HP39C 0115 of Central University of Himachal Pradesh (Maruti SX4 ZXI) (MT-BSIV) on 'As is Where is' basis will be conducted on 02.01.2023 at 2.30 P.M. at Dhauladhar Campus-1, Dharamshala. Interested Bidders may participate in the auction by depositing of Demand Draft of Rs. 1000/- as application fee and Demand Draft / Fixed Deposit of Rs. 10,000/- as Security Money drawn in favour of 'Finance Officer, Central University of Himachal Pradesh' on the date of auction. The detailed terms and conditions of the auction are mentioned below.

Sd/-  
REGISTRAR

## पुराने वाहन को खरीदने के लिए आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम : \_\_\_\_\_

2. आवेदक का पता :

(क) वर्तमान पता \_\_\_\_\_

(ख) स्थाई पता : \_\_\_\_\_

अधार कार्ड सं \_\_\_\_\_ (प्रति संलग्न करें)

मोबाइल नंबर \_\_\_\_\_

3. विज्ञापन संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_, 2022

4. दस्तावेज़ शुल्क कुल मु. 1,000/- रूपये का ड्राफ्ट व धरोहर की धनराशि रु. 10,000/- ड्राफ्ट / एफ डी आर संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ बैंक शाखा का नाम \_\_\_\_\_

5. नीलामी योग्य वाहन का विवरण एवं देय राशि / रेट की पेशकश:

क्र. सं.	वाहन का विवरण	वाहन की पंजीकृत संख्या	वाहन कितने किलोमीटर चला है	Rate Offered / देय राशि की पेशकश (रूपये )
1.	HP 39 C -0115 (Maruti SX4 ZXI (MT (BSIV) Model-2010 - Petrol)	HP 39 C - 0115	2,55,417 K.M.	Reserve Price of the Vehicle shall be declared at the Spot.

मैं / हम हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा जारी वाहन की नीलामी सूचना में निर्धारित नियमों व शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर व  
दिनांक सहित पूरा पता

## नियम व शर्तें :

1. हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला अपनी पुरानी/अनुपयोगी वाहन (condemned vehicle) को जहाँ है जैसे है, के आधार पर बेचने/ नीलाम करने के लिए इच्छुक बोलीदाता आमंत्रित कर रहा है।
2. इच्छुक बोलीदाता दिनांक 02.01.2023 को 02.30 बजे (अपराह्न) धौलाधार परिसर-1, धर्मशाला में आवेदन पत्र, दस्तावेज़ शुल्क एवं धरोहर (EMD) की धनराशि सहित रिपोर्ट करें।
3. इच्छुक बोलीदाता दस्तावेज़ शुल्क कुल मु. 1,000/- रूपये का ड्राफ्ट व धरोहर (EMD) की धनराशि रु.10,000/- ड्राफ्ट /एफ डी आर के रूप में वित्ताधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के पक्ष में आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न होना चाहिए, अन्यथा बोलीदाता उपरोक्त वर्णित नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे। धरोहर (EMD) की धनराशि बिना ब्याज बोलीदाता को वापिस कर दी जाएगी।
4. सफल बोलीदाता को दो दिन के भीतर ऑफर/offered राशि विश्वविद्यालय के खाते में या ड्राफ्ट वित्ताधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के पक्ष जमा करवानी होगी। यदि सफल बोलीदाता उद्धृत /Rate Offered / पेशकश राशि जमा करवाने में असफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा करवाई गई धरोहर (EMD) धनराशि जब्त कर ली जाएगी और अगले बोलीदाता (दूसरे स्थान पर रही बोली) को अवसर प्रदान कर किया जायेगा।
5. सफल बोलीदाता / खरीददार को ही वाहन के हस्तांतरण संबंधित दस्तावेज़ जैसे: पंजीकरण प्रमाण-पत्र अपने नाम करवाने एवं कानूनी कार्रवाई करनी होगी। इस संबंध विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कानूनी कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात ही वाहन को विश्वविद्यालय से ले जा सकते हैं।
6. इस संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में उसके निस्तारण के लिए विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय का आदेश ही मान्य एवं अंतिम निर्णय होगा।
7. बोली को निरस्त करने का अंतिम अधिकार/निर्णय विश्वविद्यालय के पास रहेगा।
8. नीलामी में किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने की स्थिति में उसका निस्तारण हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा [Within the Jurisdiction of the Central University of Himachal Pradesh at Dharamshala (HP)].

